न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/2018

दायर तारीख :– 20-07-2018

1. प्रभुलाल पुत्र घीसूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम नायला(बदलोर) तहसील आसीन जिला भीलवाडा (राज0) हाल निवासी आमलोदा दूधी तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)

—: प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा 251–क की उप धारा (2)

उपस्थित :– श्री चिरंजीलाल रैगर, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 19.11.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनिय 1955 की धारा 251–क की उप धारा (2) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया कि वाके ग्राम चेचावाला के हाल आराजी खसरा नम्बर 1309/0.3120 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2073–2076 है, तथा प्रार्थी अपनी आराजी में आने–जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा नम्बर 1308/0.18 हैक्टेयर में रास्ता चाहा है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की अत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी की भूमि में पहूंचने के लघुतम तथा निकटतम स्थिति है। प्रार्थी के द्वारा कालित रास्ता को जो कि हाल नक्शा ट्रेस में सीमाकिंत दर्शित किया गया है, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में अभिलिखित किया जाना तथा अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी निवादित किया जाना न्यायसंगत है, इसके संबंध में प्रार्थी उचित एवं न्यायसंगत प्रतिकर संदाय करने हेतु तैयार है।
2. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम आमलोदा दूधी, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम चेचावाला खाता संख्या 81 संवत् 2073–2076, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम आमलोदा दूधी खाता संख्या 112 संवत् 2073–2076, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम चेचावाला खाता संख्या 1 संवत् 2073–2076 एवं फोटो प्रति नक्शा ट्रेस ग्राम आमलोदा दूधी आदि पेश किये।
3. पत्रावली बाद जांच दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

4. तहसीलदार विराटनगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।
5. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 81 में दर्ज खसरा नम्बरान 1309/0.3120 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थी के खसरा नम्बर 1308/0.18 हैक्टेयर भूमि मे से रास्ता चाहा गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी के आवाजाही हेतु चाहे गये रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1308/0.18 हैक्टेयर की भूमि में से है।
7. मुताबिक तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त प्रस्ताव में प्रार्थी के नाम दर्ज खसरा नंबर 1309 में किसी भी तरफ से पहुंच मार्ग नहीं है। सबसे नजदीक खसरा नंबर 1092/1459 की पूर्वी सीमा से खसरा नंबर 1308 की पश्चिमी सीमा के मध्य से होते हुए खसरा नंबर 1309 के उत्तरी–पश्चिमी कोना तक पहुंच मार्ग दिया जाना उचित होगा। उक्त खसरा नंबर 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर किस्म बजंड(सिवायचक) में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 20 मीटर लंबाई एवं 6 मीटर चौडाई अर्थात 120 वर्ग मीटर है तथा उक्त खसरा नंबर राजकीय सिवायचक भूमि में राजस्व दर्ज रिकॉर्ड है।
8. समस्त तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त मै, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आने–जाने का रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता है। मौकास्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी को अप्रार्थी के खसरा नंबर 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर में 20 मीटर लंबाई एवं 6 मीटर चौडाई अर्थात 120 वर्ग मीटर कीमतन रास्ता दिया जाना सुविधाजनक एवं सर्वसुलभ है। प्रार्थना पत्र मे चाहा गया रास्ता उपयुक्त एवं सुविधाजनक, युक्तियुक्त व फिजीबल है। जहां तक रास्ता में गई भूमि की प्रतिकार राशि का संबंध है, प्रार्थी देने को तैयार है, इसके संबंध में तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिया जाना उचित है कि डीएलसी दर अनुसार गणना कर, डीएलसी दर की दोगुना राशि प्रार्थी से जमा कर उक्त राशि अप्रार्थीगण को अदा करें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम चेचावाला तहसील विराटनगर मे स्थित अप्रार्थी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1308 रकबा 0.18 हैक्टेयर में 20 मीटर लंबाई एवं 6 मीटर चौडाई अर्थात 120 वर्ग मीटर की भूमि को प्रार्थी के पक्ष में रास्ते के उपयोग हेतु अप्रार्थी की खातेदारी अधिकारों का अवसान किया जाता है तथा गैरमुमकीन रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि नियमानुसार प्रार्थी से डीएलसी दर की दोगुना राशि जमा कर इस प्रतिकार राशि का भुगतान अप्रार्थी को किया जावे। अप्रार्थी को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उक्त सार्वजनिक रास्ते मे किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी के भी माध्यम से बाधा उत्पन्न नहीं करें, किसी भी रास्ते के उपयोग–उपभोग से नहीं रोके। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड मे अमल करें, नक्शे मे आवश्यक तरमीम करें, मौके पर पालना करना सुनिश्चित करें, साथ ही रास्ता की भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)